

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29082024-256720
SG-DL-E-29082024-256720असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2024/भाद्र 6, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 167
No. 222]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2024/BHADRA 6, 1946	[N. C. T. D. No. 167

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 अगस्त, 2024

संख्या-28/2023-राज्य कर

सं. फा. 3 (09)वित्त(व्यय-I) 2024-25/डीएस-I/715.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का 01) की धारा 1 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, -

(क) तारीख 1 अक्टूबर, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करते हैं जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2 से धारा 24 तक (धारा 14 से धारा 19 के सिवाय) के उपबंध प्रवृत्त होंगे;

(ख) तारीख 1 अगस्त, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करते हैं जिसको उक्त अधिनियम की धारा 14 से धारा 19 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव (व्यय-I)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 28th August, 2024

No. 28/2023-State Tax

No. F. 3 (09)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/715.—In exercise of the powers conferred by sub-section (ii) of section 1 of The Delhi Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2024 (01 of 2024), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints, —

- (a) the 1st day of October, 2023, as the date on which the provisions of sections 2 to 24 (except sections 14 to 19) of the said Act shall come into force;
- (b) the 1st day of August, 2023, as the date on which the provisions of sections 14 to 19 of the said Act shall come into force.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. (Exp.-I)